उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
14 – अशोक मार्ग , शक्ति भवन , लखनऊ
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

संख्या:–1027–पें0एवंआर0–28/पाकालि/12–50–पें0एवंआर0–08 दिनांक: 5 मई 2012

1– प्रबन्ध निदेशक
पूर्वांचल/पश्चिमांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/केस्को/वाराणसी/मेरठ/लखनऊ/आगरा/कानपुर
2– मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) उ0प्र0 पाकालि छठवॉ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3– समस्त मुख्य अभियन्ता।

विषय:–दि0 14.01.2000 के पश्चात् नियुक्त उ0प्र0 पाकालि/वितरण निगमों के सी0पी0एफ0 स्कीम से आवरित कार्मिकों जिन्हें का0ज्ञा0 सं0–5313–पें0एवंआर0–28/पाकालि/10–50 पें0एवंआर0/08 दि0 13.12.10 द्वारा 'द पेमेन्ट आफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972' से आवरित किया गया है के सेवानिवृत्त एवं दिवंगत होने की दशा में ग्रेच्युटी के भुगतान के दायित्व का निर्वहन किये जाने हेतु दिशा निर्देश।

महोदय,

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि दि0 14.01.2000 के पश्चात् नियुक्त कार्मिकों के सेवानिवृत्त/दिवंगत होने की दशा में ग्रेच्युटी के भुगतान की व्यवस्था निम्नवत् होगी:–

1– ग्रेच्युटी के भुगतान का दायित्व नियोक्ता का होने के कारण कार्मिक विशेष से सम्बन्धित वितरण निगम/कारपोरेशन द्वारा भुगतान का व्यय वहन किया जायेगा।

2– दिवंगत/सेवानिवृत्त कार्मिकों को यथा अनुमन्य ग्रेच्युटी का आंकलन सम्बन्धित खण्ड/कार्यालय द्वारा 'द पेमेन्ट आफ ग्रेच्युटी एक्ट–1972' की व्यवस्थाओं के अनुरूप किया जायेगा।

3– सम्बन्धित खण्ड/इकाई/कार्यालय द्वारा आंकलित ग्रेच्युटी की स्वीकृति का ज्ञाप निर्गत कर ग्रेच्युटी भुगतान हेतु आवश्यक धन की मॉग सम्बन्धित कम्पनी/निगम मुख्यालय को प्रेषित की जानी होगी। यह धन मॉग अधिष्ठान मॉग का अंश होगी।

4– कम्पनी/निगम से प्राप्त धन के सापेक्ष सम्बन्धित कार्मिक को भुगतान सम्बन्धित खण्ड द्वारा यथावश्यक लेखांकन सुनिश्चित करते हुये किया जाना होगा।

5– सम्बन्धित खण्ड/इकाई/कार्यालय द्वारा स्वीकृत एवं भुगतान की गयी ग्रेच्युटी की सूचना औद्योगिक सम्बन्ध शाखा को निर्धारित प्रारूप में प्रेषित की जायेगी।

6– नियोक्ता की सुगमता एवं प्रशासनिक/प्रबन्धकीय नियंत्रण हेतु अनुमन्य एवं भुगतान की गई ग्रेच्युटी की समेकित सूचना, निदेशक(का0प्र0 एवं प्रशा0) को, औद्योगिक सम्बन्ध शाखा द्वारा निर्धारित प्रारूप में मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक यथा प्रबन्धकीय आवश्यकतानुसार प्रेषित कर उपलब्ध करायी जानी होगी।

भवदीय,

(सज्जन लाल) 05/5/12
अपर सचिव (अराजपत्रित)

क्रमशः पृष्ठ–2

<u>संख्याः–1027–(I)पें0एवंआर0–28/पाकालि0/12 तददिनांकः–</u> 5.5.12

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक/समस्त निदेशकगण, उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0/उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
3. अपर सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय/वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी (औ0स0), उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशा0),उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/डिस्काम्स/ट्रान्स्को/केस्को।
5. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/डिस्काम्स/ट्रान्स्को/केस्को।
6. समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
7. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
8. कारपोरेशन मुख्यालय के समस्त अधिकारी/अनुभाग/शिविर/कोष्ठक।
9. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
10. सचिव (ट्रस्ट), उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
11. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0–407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, की वेबसाइट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

05/5/12

(रज्जन लाल)

<u>अपर सचिव (अराजपत्रित)</u>

माई कम्प्यूटर/डी/बैक आप माई डाक्यूमैण्ट/पेंशन/lalsir